बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांकः- 175901 पटना, दिनांकः- 29-01-2014

सं0सं0 - ग्रा0वि07(नि0)-01/2014

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक

बिहार ।

विषयः- **रोजगार दिवस आयोजित करने के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूची 1 एवं 2 में दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 से व्यापक संशोधन अधिसूचित किये गये हैं, जिसमें अनुसूची 1 के धारा 8 में रोजगार दिवस के संबंध में दिये गये सन्दर्भ को नीचे उद्धृत किया जा रहा है : -

"Demand for work, either oral or written, shall be registered as and when required by any job card holder and in the Rozgar Diwas which is to be conducted at every Ward and Gram Panchayat level at least once a month, leading to provision of work as per demand."

राज्य सरकार द्वारा काम की मांग को निबंधित करने हेतु निम्नलिखित व्यवस्थायें पूर्व से की गई हैं :-

1. आंगनबाडी केन्द्र में लगाये गये बॉक्स में आवेदन प्राप्त करना (विभागीय पत्रांक- 9291 दिनांक 22.07.2012) ।
2. वसुधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्राप्त करना (विभागीय पत्रांक- 99298 दिनांक 30.03.2012 एवं पत्रांक 140925 दिनांक 05.03.2013) ।
3. कॉल सेंटर के माध्यम से आवेदन प्राप्त करना (विभागीय पत्रांक- 102264 दिनांक 26.04.2012) ।
4. KIOSK के माध्यम से आवेदन प्राप्त करना (विभागीय पत्रांक- 112305 दिनांक 02.07.2012) ।
5. वार्ड सदस्य के माध्यम से आवेदन प्राप्त करना (विभागीय पत्रांक- 148570 दिनांक 17.05.2013) ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूची 1 के धारा 8 के उपरोक्त प्रावधान तथा पूर्व से स्थापित व्यवस्था के क्रम में काम की मांग की व्यवस्था को और सुचारु बनाने हेतु निम्नवत निर्देश दिये जाते हैं : -

1. वार्ड सदस्यों द्वारा प्रत्येक सप्ताह सोमवार को काम की मांग संबंधी आवेदन अपने-अपने वार्ड अंतर्गत किसी निश्चित स्थान पर विभागीय पत्रांक- 148570 दिनांक 17.05.2013 में संलग्न विहित प्रपत्र में प्राप्त की जायेगी तथा आवेदन की पावती तिथि सहित दी जायेगी । यह वार्ड स्तर पर आयोजित किया जाने वाला रोजगार दिवस होगा ।
2. संबंधित वार्ड सदस्य, पंचायत रोजगार सेवक को मंगलवार को साप्ताहिक कार्यकारिणी समिति की बैठक में सभी आवेदन उपलब्ध कराकर पावती प्राप्त करेंगे। आप अवगत हैं कि सभी पंचायतों में प्रत्येक मंगलवार को पंचायत की साप्ताहिक कार्यकारिणी समिति की बैठक के संबंध में विभागीय पत्रांक- 164235 दिनांक 24.09.2013 द्वारा निर्देश निर्गत हैं । यह पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाने वाला रोजगार दिवस होगा ।
3. पंचायत रोजगार सेवक उसी दिन सभी आवेदनों को निबंधित करेंगे साथ ही अन्य तिथि को भी अगर कोई काम की मांग संबंधी आवेदन प्राप्त होता है तो उसका भी निबंधन करेंगे ।

इस प्रकार प्रत्येक वार्ड में सोमवार को तथा पंचायत स्तर पर मंगलवार को प्रत्येक सप्ताह रोजगार दिवस मनाया जायेगा । काम की मांग को निबंधित करने हेतु पूर्व से निर्गत विभागीय निर्देश के अनुसार भी काम की मांग को निबंधित किया जाता रहेगा ।

इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये इसे दृढतापूर्वक लागू किया जाय तथा इसका सतत अनुश्रवण किया जाय ।

विश्वासभाजन

23.1.14

(अमृत लाल मीणा)
सचिव